RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8081/2025

Champalal Alias Fauji S/o Lekh Ram, Aged About 30 Years, Resident Of Maler, Ps Rajiyasar, District Sri Ganganagar (Raj.) (At Present Lodged In Sub Jail, Suratgarh)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

For Petitioner(s)	:	Mr. Jitendra Ojha
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP Mr. Vivek Sharma

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

11/08/2025

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना राजीयासर, जिला श्रीगंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 84/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1), 3(5) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चाकू की चोट सहअभियुक्त अंकित के द्वारा कारित करने का आरोप है। प्रार्थी–अभियुक्त पर लाठी की चोट करने का आरोप है। इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 21.06.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। इस मामले में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा आने और बाद नतीजा विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभी तक इस मामले में चालान पेश नहीं हुआ है। चालान से पूर्व जमानत दिया जाना

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:39:29 AM)

न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में स्वीकृत रूप से चाकू की चोट सहअभियुक्त अंकित द्वारा कारित करना केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **चम्पालाल उर्फ फौजी पुत्र लेखराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

42-mayank/-

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:39:29 AM)